फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

(प्लाट न0–100, फेस–1, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा)

रेफरन्स न0 .....

दिनांक :31-3-06

सेवा में,

माननीय श्रमायुक्त महोदया,
श्रम विभाग हरियाणा,
चण्डीगढ।

विषयः– मै0 फैशन एक्सप्रैस 100, फेस–1, उद्योग विहार, गुडगांव के प्रबंधकों द्वारा दीपावली बोनस वितरण के समय अपनाई गई भेदभाव नीति के कारण संस्थान में तनाव ग्रस्त हालत बारे व **Sexual Harrasment** बारे शिकायत पर रिपोर्ट।

मान्यवर मैडम,

सादर तथा विनम्र निवेदन है कि :–

1. यह कि आपके कार्यालय से पत्र संख्या 7808 दिनांक 06.03.2006 द्वारा जा कि उपरोक्त विषय माननीय उप श्रमायुक्त, गुडगांवा को लिखा गया है– इस पत्र में आपने बोनस विषय में धारा 2 (k) के अन्तर्गत यूनियन को विधिवत मांग पत्र देने का परामर्श देने हेतू कहा है।
2. यह कि हमें खेदपूर्वक निवेदन करना पड रहा है कि आपके उपरोक्त पत्र में लिखी गई बात किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही है–क्योंकि श्रमिकों ने माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी को समझौता वार्ता के दौरान यह निवेदन रिकार्ड करा दिया था कि यूनियन/श्रमिकों की शिकायत को ही धारा 2 (k) के अन्तर्गत औद्योगिक माना जावे और इसी पर आगामी कार्यवाही की जावे। माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी तथा उप श्रमायुक्त गुडगांव, दोनो अधिकारियों श्रमिकों के इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए छानबीन उपरान्त आपके कार्यालय को यह सिफारिश भिजवायी है कि विवाद को न्याय निर्णय हेतू श्रम न्यायलय में भेज दिया जावे ।

Veena 31-3-06

फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

(प्लाट न0–100, फेस–1, उघोग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा)

रेफरन्स न0 ....

दिनांक : ....

3. यह कि उपरोक्त हालात तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा निवेदन है कि मामले में अनावश्यक विलम्ब को दूर करते हुए विवाद को शीघ्र – अतिशीघ्र न्याय निर्णय हेतू औद्योगिक न्यायधिकरण को भिजवाने के कृपा करें क्योंकि श्रमिकों में प्रबंधकों की बोनस अदायगी बारे अपनाई गई भेदभाव पूर्ण नीति के कारण भारी रोष और अशांति है। यूनियन द्वारा प्रबंधकों के विरूद्ध अभी तक किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही का निर्णय नही लिया गया है। यदि मामले को न्याय निर्णय हेतू भेजने में विलंब किया गया तो श्रमिकों को मजबूरीवश प्रबंधको के विरूद्ध हडताल सहित किसी भी सीधी कार्यवाही का निर्णय लेना पड सकता है।

हम आशा करते है कि आप उपरोक्त किसी भी अनहोनी की स्थिति पैदा होने नही देंगे और मामले को न्याय निर्णय हेतू भेजने को निर्णय लेने की तत्काल कृपा करेंगे। श्रम विभाग यदि चाहे तो मुख्यालय स्तर पर दोनो पक्षों को समझौता वार्ता हेतू पुनः अन्तिम बैठक रखने के लिए सोच सकता है ताकि विवाद में आपसी सहमति की स्थिति पैदा होती है उसके लिये आप प्रयास कर सकें।

निवेदक

सतबीर सिंह

(सतबीर सिंह)
प्रधान

प्रति :– 1. माननीय वित्तायुक्त तथा
सचिव महोदया, हरियाणा सरकार
चण्डीगढ।
2. L.O. Gurgaon.
3. D.L.C. Gurgaon.

Recd
3/4/06
O/o D.C.C
Gurgaon